



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मुंगेर
सादर अस्पताल, मुंगेर




आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम **COTPA-2003** के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।


अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 3. कार्यपालक दण्डाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदा0/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य |
| 7. संबंधित धानाध्यक्ष | - | सदस्य |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।



सिविल सर्जन
मुंगेर


उपविकास आयुक्त
मुंगेर



जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

प्रतिलिपि :

जापांक 14 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13
अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित साथ ही निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति सभी संबंधित को तामिला कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाए एवं निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों/सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने एवं इस हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से पुलिस उपाधीक्षकों को तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ निर्देश देने की कृपा की जाए।



3/2/13


3/2/13



जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

प्रतिलिपि :

जापांक 14 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13
कार्यपालक निदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज आपार्टमेंन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईचक, पटना एवं सैनियर मैनेजर प्रोग्राम पी0 एस0 आई0 साई कृपायतन आशियाना दीघा रोड रामनगर मोड़ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।



3/2/13


3/2/13



जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

प्रतिलिपि :

जापांक 14 (तम्बाकू) / मुंगेर, दिनांक 4/2/13
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना / राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना, आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर, कार्यपालक निदेशक-सह-स्वास्थ्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


3/2/13


3/2/13


जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर।

जिंदगी चुनिए तम्बाकू नहीं